ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लाट –01, सैक्टर–नॉलेज पार्क–IV, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला –गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0)।
PHONE NO:- 0120-2336022
FAX NO :- 0120-2336021
Website:- www.greaternoidaauthority.in Email id:- authority@gnida.in

पत्रांक :– /वित्त/शासन/2021–22 ग्रे0नौ0: दिनांक :–18 /10 /2021

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 123वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25 सितम्बर, 2021 का कार्यवृत्त के अनुक्रम में अनु02 123/2 "जी0एस0टी0 विभाग में जी0एस0टी0 की देयता को जमा किये जाने के सम्बन्ध में" में संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

उपरोक्त एजेण्डा अनुमोदन के क्रम में आपको अवगत कराना है कि जी0एस0टी0 विभाग में प्राधिकरण द्वारा जी0एस0टी0 जमा करा दिया गया है तथा उक्त कि वसूली सम्बन्धित आवंटियो से किये जाने के आदेश सम्बन्धित विभागो को पूर्व पत्र दिनांक 06 सितम्बर, 2021, दिनांक 17 सितम्बर, 2021 एवं बैठक पत्र दिनांक 22 सितम्बर, 2021 के क्रम में निर्देशित किया गया था

उक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित विभाग आवंटी के पेमेन्ट इंटीमेशन में भी उक्त देयता को सिस्टम विभाग के माध्यम से दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में KYC (जी0एस0टी0 नं0 एवं टर्न ओवर इत्यादि) को भी आवंटी से इस माह के अन्त तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करायेगें। सम्बन्धित आवंटी द्वारा मांगे गये कम्पलीशन सर्टिफिकेट, एन0ओ0सी0, मोरगेज परमीशन इत्यादि लाभ दिये जाने से पूर्व अन्य देयताओं के अतिरिक्त उक्त देय जी0एस0टी0 मयब्याज प्राप्त होने के उपरान्त ही जारी किये जायेगें। जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में की जाने वाली वसूली हेतु Other GST Recovery के मद में प्राप्त की जायेगी।

एक माह तक उक्त धनराशि जमा न कराये जाने की स्थिति में आवंटी से अतिरिक्त नियमानुसार दण्डब्याज (प्राधिकरण में प्रचलित ब्याज दर में 3 प्रतिशत अतिरिक्त दण्डब्याज को जोड़ते हुए, जो कि अर्द्धवार्षिक कम्पाउडिंग किया जायेगा) भी आरोपित किया जायेगा। अतः जी0एस0टी0 मयब्याज वसूले जाने हेतु तत्काल नोटिस जारी कर दिये जायें।

Signed by
Hausila Prasad Verma
GM
13/10/21 22:57:11
(हौसिला प्रसाद वर्मा)
महाप्रबन्धक (वित्त)

प्रतिलिपि:–

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी/ए) को सूचनार्थ। FTS- 65530/65531
2. विशेष कार्याधिकारी (बिल्डर्स/कॉमर्शियल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु। FTS-65533/65534
3. उप महाप्रबन्धक (सिस्टम) को इस आशय से प्रेषित की उक्त आदेश को प्राधिकरण की बेवसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। FTS-65535
4. सहायक महाप्रबन्धक (संस्थागत) को आवश्यक कार्यवाही हेतु। FTS-65536
5. प्रभारी (उद्योग)/प्रबन्धक (आई0टी0) को आवश्यक कार्यवाही हेतु। FTS-65537/65538
6. बोर्ड बैठक विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। FTS-65539
7. गार्ड फाईल। FTS-65540

महाप्रबन्धक (वित्त)